राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 526–तीन/14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.15	यह निगरानी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। 2/ आवेदक मुस0 मित्ता बेवा जस्सू सेहर ग्राम सामरा तहसील पोहरी स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कुल किता 08 कुल रकबा 7.84 हे0 भूमि विकय करना चाहती है जो उसके व्दारा स्वयं व्यय पर खरीदी गयी है। आवेदक व्दारा भूमि विकय के पश्चात उसके भूमिस्वामी स्वत्व में सर्वे क0 44, 18 तथा 32 कुल रकबा 1.51 हे0 भूमि शेष रहना दर्शाया है जो उसके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विकयपत्र व्दारा कय कर उस पर नामान्तरण कराने के संबंध में किश्तबन्दी खतौनी बी–1 वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटो कापियॉ आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। आवेदक उक्त भूमि विकय कर अन्य शेष भूमि पर सिंचाई हेतु ट्यूब वेल लगाना चाहती है जिससे फसल का अच्छा लाभ मिल सके। विकय की जाने वाली असिंचित तथा	

अनुपजाऊ होने से फसल का अच्छा लाभ नहीं होना दर्शाया गया है।

3/ प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की स्वंय खरीदी गयी भूमि है तथा भूमि विक्रय के बाद भी उसके भूमिस्वामी स्वत्व में 1.51 हे0 भूमि शेष रहती है, इसलिये न्यायहित में प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है–

1. यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हों।
2. आवेदक को विक्रय राशि का भुगतान रजिस्टार के समक्ष किया जावे ।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति से भूमि का विक्रय अनुबंध किया गया है, उसी को भूमि का विक्रय किया जाय ।

4/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त, ग्वालियर संभाग का अपील प्र0क0 06/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–01–14 तथा अपर कलेक्टर, शिवपुरी का आदेश दिनांक 05–09–13 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य
लोक अदालत

(एम0के0सिंह)
अध्यक्ष
लोक अदालत

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R-526-III/14

दिनांक 17-2-14 को श्री आर. कु. [illegible] द्वारा प्रस्तुत।
17-2-14

मु. मित्ता वेवा जस्सू सेहर आदिवासी निवासी हुसैन टेकरी जिला शिवपुरी म.प्र. .... आवेदिका

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/ 2013–14 / अपील में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध निगरानी ।

श्रीमानजी,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम सामरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में सर्वे क्रमांक 45 रकवा रकवा 1.980 है. सर्वे क्रमांक 66 रकवा 0.95 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 70 रकवा 0.16 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 79 रकवा 1.00 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 80 रकवा 1.850 हैक्टर , सर्व क्रमांक 81 रकवा 0.250 हेक्टर , सर्वे क्रमांक 82 रकवा 0.950 हेक्टर तथा सर्वे क्रमांक 84 रकवा 0.700 हेक्टर कुल किता 8 कुल रकवा 7.84 हेक्टर आवेदिका द्वारा स्वंय के व्यय पर क्रय की गई थी। उक्त भूमि को आवेदिका विक्रय करना चाहती है।
2. यहकि, आवेदिका के पास ग्राम सामरा की उक्त भूमि विक्रय करने